जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

क्रमांकः–एफ. 17/14( )आर.टी.आई./प्रथम अपील/2024/3431-32 दिनांकः 30/10/24

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा–19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
अपील संख्या–05/2024

श्री नगराज पिता श्री वेला पटेल,
निवासी–करावली तहसील–सलूम्बर,
जिला–सलूम्बर। अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर। प्रत्यर्थी

निर्णय

उक्त अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (लोक सूचना अधिकारी) के विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत हुई है–

1. **प्रार्थना पत्र एवं अपील का विवरण :–**

क्र.स.		
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक	28.08.2024
2.	प्रार्थना पत्र का जबाब/सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक	–
3.	लोक सूचना अधिकारी, जिसने जबाब प्रेषित किया/किया जाना है	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
4.	प्रथम अपील प्राप्ति दिनांक	07.10.2024
5.	प्रथम अपील सुनवाई दिनांक	23.10.2024
6.	प्रथम अपील निर्णय दिनांक	30.10.2024

2. **प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–**सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी ने, दिनांक 13.07.2024 को संभागीय आयुक्त, उदयपुर को जरिये स्पीड पोस्ट, नामांतरण के जॉच से संबंधित था, के संबंध में निम्न सूचना चाही गई –

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना
1.	मैने जो पत्र दिया उसकी प्रति
2.	उस पत्र को आपके सरकारी विभाग ने जिस दस्तावेज आवक–जावक इन्द्राज रजिस्टर में अंकित किया उसकी प्रति।
3.	मेरे पत्र पर आपने कोई नोटशीट चलाई हो तो उसकी प्रति।
4.	मेरे पत्र पर आप द्वारा जितनी भी कार्यवाही की गई उस कार्यवाही की समस्त पत्रावली की प्रति।
5.	मेरे पत्र की फाईल बनाई गई उस फाईल कवर की उपर और नीचे की प्रति।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237

ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

6.	मेरे पत्र पर आप द्वारा आपसी पत्राचार किया गया उसकी प्रति।
7.	मेरे पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का पदनाम।
8.	मेरे पत्र पर कार्यवाही नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारी का नाम व पद।
9.	मेरे पत्र पर जिस नियम पर कार्यवाही नहीं की गई उसकी प्रति।
10.	मेरे पत्र पर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कार्यवाही नही करने वाले अधिकारी पर कब तक कार्यवाही हो जाएगी।
11.	मेरे पत्र पर कब तक कार्यवाही हो जायेगी, इसकी सूचना।
12.	प्रथम अपीलीय अधिकारी।

अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नही होने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. **प्रकरण का निर्णयः–**

अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई दिनांक 23.10.2024 पर उपस्थित होने का नोटिस दिनांक 08.10.2024 को जारी किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी अनुपस्थित एवं लोक सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि उनके द्वारा अपील का जबाव दिनांक 16.10.2024 को प्रस्तुत कर दिया तथा जबाव की प्रति भी प्रार्थी को प्रेषित कर दी है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.08.2024 को प्रस्तुत किया, जो कि कार्यालय में दिनांक 02.09.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कुल 02 पृष्ठों में थी। जिस पर निर्धारित समय के भीतर प्रार्थी को पत्र क्रमांक एफ 17/14/आर.टी.आई./2024/3155 दिनांक 26.09.2024 से प्रतिलिपि शुल्क 04 रूपये जमा कराने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक प्रतिलिपि शुल्क जमा नही कराया है। अतः प्रतिलिपि शुल्क के अभाव में सूचना उपलब्ध नही करायी जा सकी है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को सूचना हेतु प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने हेतु निर्धारित समय के भीतर पत्र दिनांक 26.09.2024 प्रेषित किया गया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा नही कराये जाने के कारण प्रार्थी को सूचना प्राप्त नही हो सकी है। जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है।

अतः आदेशित किया जाता है कि अगर प्रार्थी अभी भी सूचना लेना चाहता है तो वह 07 दिवस के भीतर प्रतिलिपि शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त कर सकता है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अगर प्रार्थी नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा कराता है तो वह 03 दिवस के भीतर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करावें।

अतः अपील आज दिनांक 30.10.2024 को निस्तारित की जाती है।

<u>जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट</u>

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237

ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

अगर अपीलार्थी उक्त आदेश से असंतुष्ट है तो माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना डूंगरी जयपुर में 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी) IAS
संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)

क्रमांकः–एफ. 17/14( )आर.टी.आई./प्रथम अपील/2024/3431-32 दिनांकः 30/10/24

प्रतिलिपिः–

1. श्री नगराज पिता श्री वेला पटेल, निवासी–करावली तहसील–सलूम्बर, जिला–सलूम्बर।
2. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)